

6

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-55/2019-20

Allahabad Bank, B.S. City, Bokaro

बनाम्

Sanjeet Singh & Others

-: आदेश :-

19.12.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, Allahabad Bank B.S. City, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी 1. श्री संजीत सिंह पिता काशीनाथ सिंह 2. श्री प्रेम कुमार सिंह पिता प्रह्लाद सिंह 3. श्री धरमेन्द्र सिंह पिता-शत्रुघ्न सिंह सा०-कुँवर सिंह कॉलोनी, चास बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Allahabad Bank B.S. City, Bokaro की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (1. Khata No. 111, Plot no. 6309 Mouza Chas (30) Thana Chas, Anchal- Chas Bokaro, Area-3.75 dec. pertaining to Regd. Sale deed no. 4792 dated 13.08.14 executed in favour of Sanjeet Singh at DSR Bokaro. 2. Khata No. 433, Plot no. 6913 Mouza-Chas (30) Thana Chas, Anchal- Chas Bokaro, Area-2.25 dec. pertaining to Regd. Sale deed no. 3612 dated 08.10.99 executed in favour of Prem Kumar Singh at DSR Bokaro.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 40,00,000.00 (चालीस लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.06.2019 को ही एनपीए हो गया है। दिनांक-28.10.2019 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 41,46,856.00 का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1 & 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।



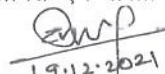
द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि उन्होंने माननीय न्यायालय डी0आर0टी0, राँची में इसी वाद से संबंधित वाद दायर किया गया है। अतः उनके द्वारा उक्त न्यायालय से किसी भी तरह का अन्तरिम आदेश आने तक इस सरफेसी वाद में कोई निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी के द्वारा सिर्फ समय की माँग करना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा वाद को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

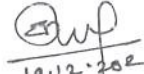
वर्णित परिस्थिति में प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर SARFACSI ACT 2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी Allahabad Bank B.S. City, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं रांशोपित।


19.12.2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


19.12.2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।